म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26,अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

क0/ बोर्ड/निर्माण/ई/सामान्य नस्ती /18–19/1970 भोपाल,दिनांक 9/10/19

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति.................(समस्त)
जिला ....(समस्त), (म.प्र.)।

विषयः—स्वच्छता ही सेवा अभियान के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंडी समिति में पदस्थ कर्मचारी, मंडी के व्यापारियों एवं मंडी में आने वाले किसानों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेंजमेंट एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रोक के संबंध में जागरूक करनें तथा मंडी प्रांगण में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रोक के अतिरिक्त निम्न कार्य किये जावें।

1. प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलवाना।
2. परिसर में फैली प्लास्टिक को इकट्ठा करने हेतु श्रमदान का आयोजन करना।
3. प्लास्टिक के उपयोग को मंडी प्रांगण में प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में पोस्टर लगवाना, आदि

स्वच्छता ही सेवा अभियान के संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को कार्यपालन यंत्री (संबंधित तकनीकी संभाग) के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/ बोर्ड/निर्माण/ई/सामान्य नस्ती /18–19/1971 भोपाल,दिनांक 9/10/19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त),।
2. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग.............(समस्त),।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल